रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2013/अग्रहायण 7, 1935

No. 582] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013/AGRAHAYANA 7, 1935

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

सा.का.नि 756(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-III) भर्ती नियम,2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2013 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।